न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. उदेश सुथार पुत्र श्री मोहन लाल सुथार, जाति- सुथार, निवासी-एस.बी.आई. बैंक के पास, मण्डार हाईवे रोड, शास्त्री नगर, रेवदर, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्मः- शिवम सुपर मार्केट, मण्डार रोड, जैन काम्पलेक्स के पास, रेवदर, जिला-सिरोही

2. लक्ष्मण सुथार पुत्र श्री मोहनलाल सुथार, निवासी- सुमेरपुर, जिला-पाली
(खाद्यकारोबारकर्ता व सप्लायर)

फर्मः- शिवम सुपर मार्केट, यश बैंक के पास, गांधी मूर्ति पालरोड, सुमेरपुर, जिला-पाली

3. बद्री प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी-ए 16, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली (खाद्यकारोबारकर्ता व सप्लायर)

फर्मः- हनुमान ट्रेडर्स, ए 16, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली

4/1. Mahesh bhai Brijlal Jethwani, At-Vega, Ta. Dabhoi, Dist. Vadodara
4/1. Nanak Brijlal Jethwani, At-Vega, Ta. Dabhoi, Dist. Vadodara
4/3. Brijlal Suganlal Jethwani, At-Vega, Ta. Dabhoi, Dist. Vadodara
4/4. Ashok Brijlal Jethwani, At-Vega, Ta. Dabhoi, Dist. Vadodara
4/5. Naresh Kumar Brijlal Jethwani, At-Vega, Ta. Dabhoi, Dist. Vadodara
(प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/5 निदेशकगण)

फर्मः- Shivam Protein Products Pvt.Ltd. At&Post-Fartikui,
Taluka- dabhio, Dist. Vadodora, Gujrat-391110

प्रकरण संख्याः 44/2021

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006".

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2 व 4/5 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक 20 मई, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में दिनांक 28.7.2021 को प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.8.2020 को फर्म शिवम सुपर मार्केट, मण्डार रोड, जैन काम्पलेक्स के पास, रेवदर, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर विक्रेता के रुप में उप[illegible] को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हु[illegible] सुथार पुत्र मोहनलाल सुथार,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:03 IST
Reason: SelfAttested

अति.जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जाति- सुथार, निवासी-एस.बी.आई. बैंक के पास, मण्डार हाईवे रोड, रेवदर, जिला- सिरोही है एवं फर्म शिवम सुपर मार्केट, मण्डार रोड, जैन काम्पलेक्स के पास, रेवदर, जिला- सिरोही में मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को तुअर दाल (Shivam Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जन के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर की तथा दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के एक सील पैक्ड बैग को खोलकर उसमें मौजूद तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) को हिला मिलाकर एकरुप किया व इस एक रुप की गई तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) में से चार किलोग्राम तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) को एक साफ सूखे, खाली भिगोनें में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 380/- अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षकराये एवं स्वयं मैने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या-5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व मूल फार्म नं. 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा तुअर दाल (Shivam Brand) को चार साफ सूखे व खाली प्लास्टिक जारों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा, ढक्कन से एयर टाईट बंद किया। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1163 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता उदेश सुथार ने पढ़कर सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द रिपोर्ट संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया तथा मजबूत धागे से बांधकर सील चपडी किया तथा फार्म नं. 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible].8.2020 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नं.6 का एक [illegible], कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, [illegible] विश्लेषक, जोधपुर को

....पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 27.8.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को मैनें स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (Shivam Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता उदेश सुथार से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ तुअर दाल (Shivam Brand) का नमूना S-1163 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता उदेश सुथार व निर्माता फर्म को जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाई गई एवं जांच से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म नं. 8 में रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन पुनः जांच हेतु आवेदन प्राप्त नही हुआ। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थान आदेश, एरिया नोटिफिकेशन एवं अनुसंधान में प्राप्त दस्तावेजों के साथ अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) की तुअर दाल दाल का निर्माण एवं विक्रय करने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत जुमनि योग्य उपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ तुअर दाल (Shivam Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रतिवादीगण को जुर्माने से दण्डित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 (उदेश सुथार) ने नियत सुनवाई तिथि 15.9.2021 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या-2 (लक्ष्मण सुथार) ने दिनांक 27.10.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2 व 4/5 व इनकी फर्म की ओर से अधिवक्ता श्री एम.डी. मोदी व अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2, 4/5 व इनकी भागीदारी फर्म के अधिवक्ता श्री एम.डी. मोदी ने प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2 व 4/5 व इनकी फर्म की ओर से लिखित जवाब जरिये डाक इस न्यायालय को प्रेषित किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3, 4/3 व 4/4 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही हुआ एवं न ही इस न्यायालय में उपस्थित हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:03 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2 व 4/5 के अधिवक्ता श्री मेडतिया की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जाने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण की ओर से उक्तानुसार प्रस्तुत जवाबों तथा पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 27.8.2020 को 4.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म शिवम सुपर मार्केट, मण्डार रोड, जैन कॉम्पलेक्स के पास, रेवदर, जिला- सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से उदेश सुथार पुत्र मोहनलाल सुथार, जाति- सुथार, निवासी- एस.बी.आई. बैंक के पास, मण्डार हाईवे रोड, रेवदर, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शिवम सुपर मार्केट, मण्डार रोड, जैन कॉम्पलेक्स के पास, रेवदर, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय के लिये रखे हुए खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के अमानक स्तर का होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष विक्रेता उदेश सुथार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 20011 के नियम 2.4.1(3) के तहत प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के एक सील्ड पैक्ड बैग को खोलकर उसमें मौजूद तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) को एकरुप कर इस एकरुप की हुई तुअर दाल में से चार किलोग्राम तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा व उसकी कीमत राशि रुपये 380/- (अक्षरे रुपये तीन सौ अस्सी मात्र) विक्रेता को अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता उदेश सुथार व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान को 4 साफ, सूखें, खाली प्लास्टिक के जार दिखाये एवं मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-1163, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त विक्रेता उदेश सुथार व उक्त गवाहान के अनुसार हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ... खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा तुअर दाल (शिवम ...) ... बराबर-बराबर मात्रा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:47:03 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज पांच

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

में भरा व चारों जारों को ढ़क्कन से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1163 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर विक्रेता उदेश सुथार व गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूनों भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता उदेश सुथार व गवाह तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय की रसीद बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म शिवम सुपर मार्केट, एस.बी.आई. बैंक के पास, मण्डार हाईवे रोड, रेवदर, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता उदेश सुथार से खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया एवं फार्म नम्बर- 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग से बंद कर सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 31.8.2020 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा बाबुलाल, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को विश्लेषण जांच हेतु जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 27.8.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1163 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./399/Act/2020/399 दिनांक 03.9.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शिवम सुपर मार्केट, रेवदर में विक्रेता उदेश अग्रवाल से वास्ते जांच कय किया खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट [illegible] खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (अभिहित अधिकारी) के पत्र क्रमांक/एफ[illegible]2020 से प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:03 IST
Reason: SelfAttested

....पेज छः पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

उदेश सुथार व निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd. को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी फर्म शिवम सुपर मार्केट, रेवदर को खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) का 25 किलोग्राम का पैक्ड बैग फर्म शिवम सुपर मार्केट, यश बैंक के पास, गांधी मूर्ति पाल रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली द्वारा बिल इनवोईस नंबर SSM-0011156 दिनांक 21.8.2020 से सप्लाई किया गया था, जो प्रतिवादी लक्ष्मण सुथार की फर्म है। प्रतिवादी लक्ष्मण सुथार की फर्म शिवम सुपर मार्केट, सुमेरपुर द्वारा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के सील्ड पैक बेग को बिल नंबर 13368 दिनांक 18.8.2020 से प्रतिवादी बद्री प्रसाद अग्रवाल की फर्म हनुमान ट्रेडर्स, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली से क्रय किया गया था। प्रतिवादी बद्री प्रसाद अग्रवाल की फर्म हनुमान ट्रेडर्स, पोस्ट ऑफिस रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली द्वारा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के 25-25 किलोग्राम के सील्ड पैक बैग को फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110 से जरिये बिल इनवोईस नम्बर 132 दिनांक 06.6.2020 के द्वारा क्रय किये गये थे, जो उक्त खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म है। प्रकरण में प्रतिवादी उदेश सुथार एवं लक्ष्मण सुथार द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि फर्म शिवम सुपर मार्केट, रेवदर जो कि फर्म शिवम सुपर मार्केट, यश बैंक के पास, गांधी मूर्ति पाल रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली से जुडी हुई है, जिसका मालिक (owner) प्रतिवादी लक्ष्मण सुथार है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-52 के तहत मिथ्याछाप (misbranded) खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के विक्रय एवं सप्लाई हेतु प्रतिवादी लक्ष्मण सुथार पुत्र मोहनलाल सुथार, जाति-सुथार, निवासी- सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिवम सुपर मार्केट, यश बैंक के पास, गांधी मूर्ति पाल रोड, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी बद्री प्रसाद अग्रवाल पुत्र हनुमान प्रसाद, निवासी- ए 16, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म हनुमान ट्रेडर्स, ए 16, आदर्श कॉलोनी, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है तथा खाद्य पदार्थ तुअर दाल (शिवम ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग

...पेज सात

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

व विक्रय हेतु निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। प्रतिवादी लक्ष्मण सुथार एवं बद्री प्रसाद अग्रवाल एवं निर्माता/पैकर फर्म Shivam Protein Products Pvt. Ltd., At&Post-Fartikui, Taluka-Dabhoi, Dist.-Vadodara-391110, Gujrat के निदेशकगण (प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/5) को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:17:03 IST
Reason: SelfAttested